[भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 3 उपखण्ड (I) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रांलय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 52/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई, 2018

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एततद्वारा भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सा. का. नि. संख्या 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) मे प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और भी आगे संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम सं 229 के सामने, कॉलम (3) में :-

1. प्रविष्टि (क) में, "गार्ड्न लैंप" शब्दों के पश्चात, "/तार रोल/ क्रिसमस अलंकरण" शब्दों को अन्त: स्थापित किया जाएगा;
2. प्रविष्टि (द) में, "एनालॉग" शब्द को लोपित कर दिया जाएगा;
3. प्रविष्टि (य क) के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"(यख) बेगों के लिए बेंत / बेंत के हैंडल;

(यग) चिपकने वाला पदार्थ / गोंद;

(यघ) वैक्स, पेपरबोर्ड, पन्नी, बाईक्सली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन (बीओपीपी) फिल्मस, हॉलोग्राफिक पेपर;

(यड.) जिगत;

(यच) चंदन के सहउत्पाद यथा सफेद चिप पाउडर, प्रयुक्त लकड़ी की धूल, गुब्बारे की धूल;

(यछ) प्राकृतिक सुगंध तेल / सुगंधित रसायन;

(यज) शराब उपकरण;

(यझ) खरीदार के चिन्ह के साथ मुद्रित बक्से;

(यड) टंगस्टन कार्बाइड स्पर्शित नोक, वृत्तीय आरा, ड्रिल के बरमें, मिलिंग तथा प्रोफाइल कटर, घिसाई के आरों/ फीते के आरों के ब्लैड;

(यट) डायमंड व्हील / ड्रिल्स;

(यठ) एबरेसिव एमरी पेपर/ बेल्ट / वृत्तीय डिस्क;

(यड) 120 वोल्ट के कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल) और बल्ब;

(यढ) पॉलीयूरेथ्रेन लेपित कपड़े, कृत्रिम चमड़े के कपड़े, राफिया कपड़ा, रेयॉन राफिया कपड़ा, कागजी राफिया कपड़ा;

(यण) इनले कार्डस, लेबल, टैग, सेंसर, स्टिकर, मुद्रित बैग, प्लास्टिक स्पष्ट पर्ण और बैग, नायलॉन / पॉलिएस्टर / पॉली विनील ईथर (पीवीई) जाल और कपड़े, परावर्तक टेप, फैशन टेप, मास्किंग टेप, डबल साइड टेप, स्वयं चिपकने वाला पैड, पॉली बैग, अलार्म टैग, अलार्म चिप्स, सुरक्षा चिप्स;

(यत) जिपर, जिपर हेड, फास्टनर, पुलर और स्लाइडर, छिद्र, हुक्स, आइस, रिवेट्स, स्टड, बटन, चुंबक बटन, बक्कल्स, टेप, लोचदार टेप, चिपकने वाला टेप, पुन: प्रवर्तन टेप, वेल्क्रो टेप, हुक टेप, लूप टेप, लोचदार कपड़े, लोचदार बैंड, गद्देदार वैडिंग सामग्री सहायक उपकरण, पॉलीवोडिंग सामग्री, फ्यूसिबल कढ़ाई प्रारूप और प्रिंट, कढ़ाई धागा,सिलाई धागे, पत्थर (कीमती और अर्ध कीमती के अलावा), सीकुइन, कोर्ड और कोर्ड स्टॉपर, मुद्रांकन पन्नी, अस्तर, इंटरलाइनिंग और पुन: मजबूती सामग्री, धातु चेन, डॉग हुक, 'डी' रिंग, 'ओ' रिंग, ब्रिज फिटिंग, धातु फ्रेम / बैग फ्रेम, धातु पत्र / आंतरिक प्लेट / लोगो;

(यथ) कढ़ाई और फैशन आभूषणों के लिए मनके और कांच के मोती, सजावटी वस्तुओं के रूप में बीडिंग सामग्री - सिंथेटिक / चमड़े / कपड़े / कपास, चैटन्स/ क्रिस्टल ;

(यद) प्रिंटिंग स्याही;

(यध) तहदार लकड़ी का पत्तर (विनिअर);

(यन) धातु की आवाज वाली घंटी और ध्वनि सलाखें, कार्बन फाइबर पार्टस, सजावटी सेल्यूलॉइड शीट;

(यप) सिरेमिक फिटिंग और असबाब;

(यफ) मखमली कपड़े / मखमल पेपर;

(यब) धूम्रपान करने वाले उप साधन के रूप में गैस लाइटर, सिगार कटर और सिगार ह्यूमिड्रर बॉक्स;

(यभ) लकड़ी के लेखन उपकरण के हिस्सें;

(यम) रेजिन;

(यय) फोटो फ्रेम के लिए एक्रिलिक शीट;

(ययक) फोटो फ्रेम के लिए माउंट बोर्ड / फोम बोर्ड / पेपर बोर्ड / मध्यम घनत्व फाइबरबोर्ड (एम. डी. एफ.) पर्ण / हार्ड बोर्ड / बैंकिंग बोर्ड;

(ययख) संरक्षण / अभिलेखीय टेप, स्वयं चिपकने वाला सीलिंग टेप, तस्वीर फ्रेम के लिए अभिलेखीय सामग्री;

(ययग) आभूषण फाइंडिगस, संलग्न वस्तु और घटक (सोने, चांदी और प्लैटिनम के अलावा धातुओं से बने और बहुमूल्य / अर्द्ध कीमती पत्थरों वाले नहीं);

(ययघ) लेमिनेटिंग फिल्में;

(ययङ) लोचदार जैल;

(ययच) चमड़े / कपास / साटन के तार, रिबन और प्लास्टिक मुहर;

(ययछ) प्लास्टिक / स्टेनलेस स्टील / धातु के डिस्पेन्सर के लिए नल / लोशन पंप;

(ययज) सोल्डरिंग पानी और एसिड पानी;

(ययझ) चिपकने वाले के रूप में उपयोग के लिए संयोजन में एमिनो रेजिन और पोलीयूरीथन्स;

(ययञ) ईथाइलीन की उच्च घनत्व बहुलक की फिल्म, विनाइल पेपर;

(ययट) लकड़ी और लकड़ी के कृमि / लकड़ी की कीड़े के इलाज के लिए रसायन;

(ययठ) ग्लास पिघलाने के लिये आग रोक चिकनी मिट्टी से बना रिंग के साथ बर्तन;

(ययड) सेलेनियम और बोरेक्स;

(ययढ) कांच के लिए कटिंग वील्स;

(ययण) कला ब्रश और विशेष हस्तशिल्प अनुप्रयोगों के लिए ब्रश;

(ययत) फर्नीचर और कला का फ्रेम बनाने के लिए सजावटी मोल्डिंग्स;

(ययथ) मैग्नेट, चुंबक बटन;

(ययद) 1.5 मिमी से 10 मिमी मोटाई के एंटी-रिफ्लेक्टिव ग्लास;

(ययध) कैनवास स्ट्रेचर बार ।"।

[फा. सं. 605/20/2018-डीबीके]

(आनंद कुमार झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, को सा. का. नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमे अंतिम बार अधिसूचना संख्या 49/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 20 जून, 2018, सां.का.नि. 578 (अ), दिनांक 20 जून, 2018, के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधिन किया गया है।